



मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या: टीएस-सीसीटीएनएस- ०६ / २०१३ [८१] दिनांक: सितम्बर ०८, २०१७
सेवामें,

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, जोन,
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र,
पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक रेलवे।
समस्त जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
समस्त पुलिस अधीक्षक रेलवे।

सीसीटीएनएस के ऑन लाइन के पोर्टल पर थाने द्वारा लॉगिन करने पर जो पेज खुलेगा उसमें अभियोजन पर क्लिक करने पर थाने द्वारा अभियोजन के सन्दर्भ में की जाने वाली समस्त कार्यवाहियों का विभिन्न प्रारूप/प्रपत्र उपलब्ध है। अभियोजन सम्बन्धी निम्न कार्यवाही सीसीटीएनएस पोर्टल पर की जा सकती है।

१— वारण्ट बुलाने—

- (ए) न्यायालय द्वारा जारी सम्मन/वारण्ट विवरण।
- (बी) सम्मन/वारण्ट निष्पादन के लिए पुलिस स्टेशन।
- (सी) न्यायालय द्वारा जारी सम्मन/वारण्ट।

- २— कोर्ट केस संख्या से सम्बन्धित विवरण।
- ३— कोर्ट द्वायल विवरण।
- ४— कोर्ट केस निष्पादन फार्म(आईआईएफ ६)।
- ५— अपील के फार्म का परिणाम (आईआईएफ ७)।
- ६— जेल विवरण/रिहाई।
- ७— सम्पत्ति के मालखाना के रिलीज के लिये कोर्ट में आवेदन।

इन सभी का पूर्ण विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

उपरोक्त के सन्दर्भ में अनुरोध है कि आप सभी अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले थानाध्यक्षों की मीटिंग/वर्कशाप कराकर उसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एवं थाने के कम्प्युटर आपरेटर व अन्य भिज्ञ पुलिस कर्मियों के साथ इस प्रक्रिया को भली-भौति समझ लें और इस प्रणाली पर शीघ्र कार्य सुनिश्चित करें।

संलग्नक - क एवं ख

d/819
(आशुतोष पाण्डेय)

अपर पुलिस महानिदेशक,
तकनीकी सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।

संलग्नक—यथोपरि

प्रतिलिपि— पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ०प्र० लखनऊ को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।